

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-21 / 2013

संस्थित दिनांक-07.01.2013

फाई. क्र.234503001992013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

शांतिबाई पिता दुरपाल, उम्र-30 वर्ष
 निवासी ग्राम रौंदाटोला थाना बैहर जिला बालाघाट।

- - - - **आरोपी**// **निर्णय** //**(दिनांक 09 / 02 / 2018 को घोषित)**

01- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 22.11.2012 को सुबह 08:00 बजे रौंदाटोला वार्ड नं.-02 बैहर, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी नैनबती को लोकस्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर आहत नैनबती को दांतों से काटकर एवं हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आहत नैनबती को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया नैनबती ने थाना बैहर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 22.11.12 को सुबह 08:00 बजे उसकी देवरानी शांतिबाई मेरावी बोली कि वह स्कूल में काम करती है और मास्टर के साथ मिलकर उसके बच्चों के पैसा निकलवाकर खा गई है, कहकर गंदी-गंदी गालियाँ देने लगी, जो सुनने में बुरी लगी। गालियाँ देने से मना की तो शांतिबाई लामा-झूमी कर जमीन में बाल पकड़कर पटक दी और दाहिने तरफ सीने में खाक के पास दात से काट दी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर दोनों हाथ की अंगुलियों में खरोंची।

उसका मकान में हक नहीं है मकान से निकल जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगी की धमकी देने लगी। बीच-बचाव संतुराबाई मरावी ने की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 179/12 धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा-324 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 154/12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 22.11.2012 को सुबह 08:00 बजे रौंदाटोला वार्ड नं.-02 बैहर, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी नैनबती को लोकस्थान में अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत नैनबती को दांतों से काटकर एवं हाथ-मुक्कों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत नैनबती को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03**

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी नैनबती अ.सा.01 ने कथन किया है कि आरोपी शांतिबाई उसकी देवरानी है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले सुबह 8:00 बजे की है। घटना दिनांक को शांतिबाई उसे घर से निकल जाने के लिये कह रही थी और उसे पकड़कर खींची और सीने में काट दी थी। फिर उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी, जो प्रपी-01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रपी-02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी नैनबती अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसका मायका कोरजा में है। उसके भाई का नाम तीरसिंह टेकाम है। उसका भाई तीरसिंह टेकाम उसके साथ पुलिस थाना बैहर रिपोर्ट करने आया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह और उसके भाई ने मिलकर आरोपी के साथ मारपीट किये थे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसकी सास ने शराब बनाने से मना किया था। साक्षी के अनुसार पहले से ही उसने शराब बनाना बंद कर दी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने शराब पीकर अपने भाई के साथ स्वयं आरोपी के साथ झगड़ा की थी और उसे गिरने से चोट आयी थी।

07— साक्षी तीरसिंह टेकाम अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आहत नैनवतीबाई उसकी बहन है। घटना उसके

न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पूर्व सुबह 08:00 बजे की है। घटना दिनांक को जब वह बहन नैनवती के घर गया था, तो नैनवती और शांतिबाई का आपस में झगड़ा हो रहा था, तब उसने यह कहते हुये कि बहन-बहन क्यों झगड़ा कर रही है। आरोपी शांतिबाई ने नैनवतीबाई को दांत से गले के पास काट लिया था। बाद में वह लोग अपने काम से बैहर आ गये। बैहर में घटना की रिपोर्ट थाने में की। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08— साक्षी तीरसिंह तेकाम अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवाद के समय जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था, तब आहत और आरोपी दोनों जमीन पर गिरे थे। साक्षी के अनुसार दोनों झगड़ा करते हुये गिर गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दोनों के बीच काफी समय पूर्व से झगड़ा होता था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि नैनवतीबाई घटना के समय शराब बनाती थी, तब शांतिबाई उसे शराब बनाने से मना करती थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना के समय आरोपी नैनवतीबाई को शराब बनाने से मना किया था। इसी बात से दोनों के बीच वाद-विवाद हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था, तब दोनों जमीन पर गिरे हुये थे। उसके पहुँचने के बाद दोनों के बीच कोई लामा-झूमी नहीं हुई थी। साक्षी के अनुसार उसने उन्हें अलग-अलग कर दिया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी शांतिबाई ने नैनवतीबाई को उसके सामने नहीं काटा था, आरोपी द्वारा दांत से काटे जाने वाली बात अपनी बहन नैनवती के कारण झूठी बता रहा है, आहत बहन है, इसलिये वह आरोपी शांतिबाई के खिलाफ झूठे कथन कर रहा है, आहत को जो चोट आई थी वह उसको गिरने से आई थी काटने से नहीं।

09— साक्षी अनिल मरावी अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी शांतिबाई को पहचानता है। वह प्रार्थी नैनवतीबाई को भी जानता है।

घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन साल पूर्व नैनबतीबाई के घर की है। दोनों के बीच आपस में झगड़ा हो गया था। वह झगड़े के समय नहीं था उसे उसकी माँ संत्राबाई ने झगड़े के बारे में बताया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10— साक्षी अनिल मरावी अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 22.11.12 को सुबह 08:00 बजे की है वह अपने घर पर खड़ा था, शांतिबाई ने नैनबतीबाई को बोला था कि वह स्कूल में खाना बनाने जाती है और उसने स्कूल के मास्टर से मिलकर उसके पैसे खा लिये हैं, पैसे की बात को लेकर शांतिबाई ने नैनबतीबाई को गंदी-गंदी गालियाँ देकर बाल पकड़कर लात-घूसों से मारपीट की थी और जमीन पर गिरा दिया था, दाहिने सीने पर शांतिबाई ने नैनबतीबाई को दांत से काट दिया था, शांतिबाई ने नैनबतीबाई को कहा कि वह घर से निकल नहीं तो उसे जान से खत्म कर देगी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-04 पुलिस को नहीं देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

11— साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 22.11.2012 को सी.एच.सी बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक सुमेरसिंह क्रमांक 101 थाना बैहर द्वारा नैनबतीबाई को परीक्षण हेतु लाया गया था, परीक्षण करने पर उसने चोट होना पाया था। एक खरोंच दांये तरफ की छाती पर चमड़ी की सतह तक होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो किसी सख्त व खुरदुरी वस्तु से पहुँचाई गई थी तथा उसके परीक्षण के 04 से 24 घंटे के अंदर की थी। उक्त चोट सात दिन के अंदर ठीक हो सकती थी, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन न हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.

05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी तथा उक्त चोट स्वतः गिरने से भी आ सकती है।

12— साक्षी एल.सी. चौधरी अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.11.12 को पुलिस थाना बैहर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 179/12 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रार्थिया नैनबती की सूचना पर मौके पर जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं ए से ए भाग पर प्रार्थिया नैनबती के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी नैनबतीबाई साक्षी संत्राबाई, अनिल, तीरसिंह, मंगलीबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 25.11.12 को आरोपी शांतिबाई को गवाह अनिल और धरमसिंह के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी.03 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के अंगुठा निशानी है। विवेचना के दौरान डॉक्टर की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा-324 भा.दं.सं. बढ़ाई गई थी। विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रतुत किया गया था।

13— साक्षी एल.सी. चौधरी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मौका-नक्शा प्रपी-02 थाना में बैठकर बनाया था, वह साक्षी नैनबतीबाई, संतूराबाई, अनिल मरावी, तीरसिंह, मंगलीबाई के कथन अपने मन से झूठे लेखबद्ध किया था, वह प्रार्थी से मिलकर आरोपी को फँसाने के लिए झूठी विवेचना कर आपराधिक प्रकरण तैयार किया था, प्रपी-03 की कार्यवाही उसने आरोपी के विरुद्ध उसे फँसाने हेतु झूठा तैयार किया था।

14— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी नैनवतीबाई अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी नैनवतीबाई अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी तीरसिंह तेकाम अ.सा.02 के कथनों से भी होती है। यद्यपि चिकित्सा साक्षी डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.05 द्वारा दात से काटने से आई चोटों के संबंध में विशिष्ट रूप से लेख नहीं किया है। तथापि उपलब्ध मौखिक साक्ष्य तत्संबंध में अखण्डनीय है। जहाँ तक अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने एवं जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित करने का प्रश्न है। तत्संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा किसी भी साक्षी ने इस संबंध में कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में उक्त आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को भा.दं०सं. की धारा-294, 506 भाग-दो के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा भा.द.सं. की धारा-324 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15— आरोपी द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुःनश्चः—

16— दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी एवं परिवादी पक्ष एक ही परिवार के होकर आपस में सगे रिश्तेदार हैं। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

17- बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। प्रकरण पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित रहा है, जिसमें अभियोक्त्री नियमित रूप से उपस्थित होती रही है। ऐसी स्थिति में कारावास का दंड दिये जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे मात्र अर्थदण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के लिए 1,000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

18- अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा-357(1)(बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी नैनबती को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अपील न होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

19- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

20- प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रही है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21- अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/-

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/-

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट